न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी : श्री नवनीत कुमार
अपील संख्या : 01/2024

हंसराज पुत्र श्री रणजीत, जाति बिश्नोई, साकिन हिन्दौर तहसील लूणकरणसर हाल साकिन 266 आरडी, फूलदेसर, तहसील लूणकरणसर — अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज — रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति :

1. श्री विजय कुमार पारीक — वकील अपीलान्ट
2. श्री मोतीलाल — पैरोकारराज

निर्णय

दिनांक :— 13—03—2026

यह अपील अपीलान्ट हंसराज पुत्र श्री रणजीत, जाति बिश्नोई, साकिन हिन्दौर तहसील लूणकरणसर हाल साकिन 266 आरडी, फूलदेसर, तहसील लूणकरणसर के द्वारा आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 02—12—2024 को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत 23(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने बतौर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज विस्थापित के तौर पर कृषि भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अपीलान्ट भूमि आवंटन का पात्र था व है। अपीलान्ट ने चक 5 पीएसएसएम के मुरब्बा नम्बर 101/01 की 10—00 बीघा भूमि तहसील बज्जू बाबत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था। अपीलान्ट भूमि आवंटन का पात्र है। अपीलान्ट ने विस्थापित के तौर पर भूमि आवंटन हेतु पात्रता पूर्व में प्रमाणित कर दी थी तथा भूमि आवंटन का हकदार है। प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद यही कहा गया कि आपको नोटिस देकर सूचित किया जायेगा मगर अपीलान्ट को आज तक कभी कोई नोटिस बाबत सुनवाई व सबूत पेश करने बाबत नहीं दिया गया था। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र गैर हाजिरी में बिना आधार खारिज कर दिया गया है। जिस भूमि बाबत अपीलान्ट ने आवंटन हेतु मांग की थी वह भूमि आज भी रकबाराज है तथा इस भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त पूर्व से ही चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि उक्त भूमि विशेष आवंटन की श्रेणी की है जो कतई गलत है क्योंकि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार उक्त भूमि विस्थापित के तौर पर आवंटन की जा सकती है। कोई कानूनी रोक नहीं है। आवंटन अधिकारी चाहे तो विशेष आवंटन की कीमत भी अपीलान्ट से ले सकते हैं। अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलान्ट को किसी भी प्रकार से सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जिस दिन अपीलान्ट हर बार की तरह प्रार्थना पत्र बाबत जानकारी लेने दिनांक 02—12—2024 को गया तो कहा गया कि उसका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है। कानून की सरासर अनदेखी की

गई है। अपीलाधीन भूमि किसी भी प्रावधान के तहत अपीलान्ट को आवंटित की जानी चाहिए। अपीलाधीन आदेश नियमों के विरूद्ध पारित किया गया है। भूमि आज भी रकबाराज है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के निर्णय दिनांक 02–12–2024 को निरस्त फरमावें व अपीलान्ट को चक 5 पीएसएसएम के मु0नं0 101/01 की 10–00 बीघा भूमि आवंटन की जावे।

अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक व राज्यपक्ष की ओर से पैरोकारराज उपस्थित हुए तथा अपील पर बहस की गई। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

बहस के दौरान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02–12–2024 को अपीलान्ट का आवेदन पत्र बिना किसी नोटिस भेजे एकतरफा तौर पर बिना सुने खिलाफ कानून हकदार होते हुए खारिज किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलान्ट को सुनवाई हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने हेतु निवेदन किया।

इसी संबंध में पैरोकारराज की बहस सुनी गई। पैरोकारराज का कथन है कि अपीलान्ट श्री हंसराज पुत्र श्री रणजीत, निवासी हिन्दौर ने कार्यालय में दिनांक 14–07–2022 में एम.एफ.एफ.आर विस्थापित श्री रामलाल पुत्र श्री मालूराम विश्नोई, विस्थापित ग्राम हिन्दौर के ख0न0 62 में 5–19 बीघा भूमि की एवज में भूमि आवंटन की मांग की। प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि विस्थापित ग्राम हिन्दौर के ख0नं0 62 में 5–19 बीघा भूमि अवाप्त हुई जिसकी एवज में आज दिनांक कोई आवंटन नहीं हुआ है। मूल विस्थापित की मृत्यु दिनांक 11–06–1988 को हो चुकी है। मृतक रामलाल पुत्र मालूराम ने अपने जीवनकाल में वसीयत दिनांक 13–04–1987 को हंसराज पुत्र श्री रणजीत के पक्ष कर रखी है। मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र व प्रमाण पत्र की फोटो प्रति जो कि ग्राम पंचायत संरपच द्वारा जारीशुदा है। महाजन फील्ड फायरिंग रेन्ज में अवाप्त भूमि की एवज में तहसील बज्जू के चक 5 पी.एस.एस.एम के मु0न0 101/1 में 10–00 बीघा भूमि की मांग की है।

श्री हंसराज पुत्र रणजीत द्वारा मांग की गई भूमि की रिपोर्ट हेतु जिला कलक्टर बीकानेर से पत्रांक 4515, दिनांक 20–07–2022 को पत्र लिखा गया। श्री हंसराज पुत्र श्री रणजीत द्वारा मांग की गई भूमि की रिपोर्ट जिला कलक्टर बीकानेर के पत्रांक 834, दिनांक 21–02–2024 से प्राप्त हुई। जिला कलक्टर बीकानेर की रिपोर्ट में बिन्दु संख्या 15 में यदि कोई आवश्यक हो तो प्रतिवेदन में स्पष्ट अंकन करे **"भूमि विशेष आवंटन की श्रेणी की है"**।

जिला कलक्टर, बीकानेर ने अपने पत्रांक 834, दिनांक 21–02–2024 द्वारा श्री हंसराज पुत्र श्री रणजीत द्वारा मांग की गई भूमि विशेष आवंटन की श्रेणी होना अंकित किया। जिस कारण श्री हंसराज पुत्र श्री रणजीत को मांग की गई भूमि दी जानी संभव नहीं है। श्री हंसराज पुत्र श्री रणजीत, जाति विश्नोई के प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अतः अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। उभयपक्षों की बहस सुनी एवं मनन किया जिसके आधार पर विवेचन के तौर यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलान्ट श्री हंसराज पुत्र श्री रणजीत द्वारा प्रस्तुत एमएफएफआर विस्थापित के नाते भूमि आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मांग की गयी भूमि विशेष आवंटन की श्रेणी में

आरक्षित है जिसे एमएफएफआर विस्थापित के नाते भूमि आवंटन नहीं की जा सकती। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलान्ट द्वारा दिये गये विकल्प के प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है न कि अपीलान्ट के क्लेम को। अतः अपीलान्ट को अपील के मार्फत कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है।

यद्यपि अपीलान्ट का एमएफएफआर के तहत क्लेम शेष है। अपीलान्ट को एमएफएफआर विस्थापित के नाते अवाप्तशुदा भूमि के बदले राजस्थान भूमि विक्रय एवं आवंटन नियम, 1975 (इं0गां0न0प0 क्षेत्र) में नियम 24 के तहत व राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 20(ख) में अन्य भूमि देने का प्रावधान है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उक्त प्रकरण में जांच करें और यदि अपीलान्ट को एमएफएफआर विस्थापित के नाते अन्यत्र भूमि के आवंटन का अधिकार है, तो नियमानुसार समीक्षात्मक परीक्षण कर भूमि आवंटन करें।

निर्णय प्रति व अधीनस्थ रिकार्ड, अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जाकर प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13-03-2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/3/2026

(नवनीत कुमार)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर